

मध्य प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 4 / 03 / 2022

क्रमांक एफ 2-36 / 2021 / 1 / 55 :: राज्य शासन एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के नियम-14-अनुशासन तथा नियंत्रण", संबंधी नियम के उपनियम (5) के नीचे निम्नानुसार नवीन उपनियम (6) स्थापित किया जाता है :-


"नियम-14-अनुशासन तथा नियंत्रण :-

नवीन उपनियम (6) :-

कार्यकारिणी समिति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु संकल्प पारित करने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के नियोक्ताकर्ता अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा"।

उपरोक्त संशोधन आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( आर.एस.वर्मा )  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक- 4 / 03 / 2022


पृ.क्रमांक एफ 2-36 / 2021 / 1 / 55  
प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संभागायुक्त संभाग, भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर / उज्जैन / शहडोल मध्य प्रदेश।

क्रमांक	835
दिनांक	07/03/22
विभाग	स्वा.शिक्षा
अधीनस्थ	जी.एम.ई. / जी.एम.ई.

निरंतर.....2

7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया एवं छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश।
  8. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।
  9. संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर।
  10. प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
11. आर्डर बुक



अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 30/स्था/राज/2022,

भोपाल, दिनांक 2/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं शहडोल मध्यप्रदेश की ओर कृपया सूचनार्थ।
  2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया एवं छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की ओर कृपया सूचनार्थ।
  3. शाखा प्रभारी, अराजपत्रित शाखा, सर्तकता शाखा, नर्सिंग शाखा की ओर सूचनार्थ।
- आई.टी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश  
Page-499